



(PERSONAL CLAIM AND ADVANCES SECTION)
भा.कृ.अ.स.—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
पूसा, नई दिल्ली-110012 PUSA, NEW DELHI-110012



सं.: RTI/2022/PCA

दिनांक: 14/03/2023

सेवा में

श्री कन्हैयालाल

6-ए-133, जे.जे. कालोनी

बासनी प्रथ चरण

जोधपुर-342005 (राज.)


विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में।

महोदय.

आपके आवेदन दिनांक 21/02/2023 के संदर्भ में आपके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी निम्नलिखित है:

आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी	मांगी गई जानकारी का जवाब
1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कार्यालय से ICAR-IARI सेवानिवृत्त पेंशनधारी को सीजीएचएस कार्ड स्कीम (फायदा) लागू है या नहीं?	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को सीजीएचएस कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है परंतु यह सुविधा उनके लिए Delhi/NCR तक ही सीमित है।

यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के भीतर Appellate authority के समक्ष अपील कर सकते हैं।


प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी (पी.सी.ए)
व्यक्तिगत दावा अनुभाग / P.C.A.
भा०क०अ०स० / I.A.R.I.
नई दिल्ली-12 / New Delhi-12

प्रतिलिपि:

1. AAO & Nodal Officer, RTI Section, Directorate, IARI, New Delhi-110012.
2. Incharge AKMU with the request to upload this letter on IARI website.